न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 07/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2017/00143

उनवान

1. ग्यान देवी पत्नी पोखन सिंह
2. पोखन सिंह पुत्र सामलिया
3. महाराज सिंह } पिसरान पोखन सिंह
4. डोंगर सिंह }
5. रामफूल
6. मवासी पुत्र सामलिया
7. मुरलीधर } पिसरान मवासी
8. नोहवत }
9. मेघ सिंह पुत्र महाराज सिंह

समस्त जाति कुशवाह निवासी शाला का पुरा बरैठा उपतहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

निर्मला देवी पत्नी परमाल सिंह जाति कुशवाह निवासी शाला का पुरा(बरैठा) उपतहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 30.05.2017 उनवानी निर्मला देवी बनाम ग्यान देवी मु0न. 40/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुरेश कटारा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 17.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी

खसरा नम्बर 801 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम शाला का पुरा(बरैठा) में रैस्पो0/प्रार्थीया व अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य सक्षम न्यायालय द्वारा बॅटवारा किया जाकर, रैस्पो0/प्रार्थीया खसरा नम्बर 801/1 रकवा 13 विस्वा तथा अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 01 खसरा नम्बर 802/2 रकवा 12 विस्वा के खातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड हो चुके हैं। परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के पश्चिम की तरफ रास्ता के सहारे 25 फुट लम्बी व 5 फुट ऊॅची दीवाल बना ली है एवं रास्ते के सहारे की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी/अपीलाण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी/अपीलाण्ट को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की कोई तामील विधिवत नहीं हुयी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की तामील मानकर एक तरफा कार्यवाही कर, अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं बॅटवारा के विरूद्ध अपील संख्या 37/2016 उनवानी ग्यान देवी बनाम निर्मला देवी न्यायालय0 अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर में विचाराधीन है अतः जब मामला न्यायालय में SUB JUSTICE है तो अन्तिम नहीं माना जा सकता है एवं ना ही बॅटवारा ही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 30.06.2017 नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2017 के पूर्व ही पक्षकारों को बिना नोटिस जारी किये, प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बरैठा में रखकर, रैस्पो0 के कथित कब्जा की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 से अन्तिम निस्तारण कर दिया। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए वक्त दायरी प्रार्थना पत्र कब्जा होना आवश्यक है। विवादित आराजी बाबत् वक्त दायरी दावा से पूर्व पक्षकारो में झगडा हुआ एवं एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी। उक्त एफ0आई0आर0 में मौका ना नक्शा अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया है, जिसमें अपीलाण्ट का कब्जा व निर्माण होना माना है एवं रैस्पो0 की आराजी मौके पर खाली बताई गयी है। अतः बिना कब्जा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपने तर्को के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1984 पेज 111, 2005 पेज 357, 1994 पेज 327, 1986 पेज 632 का हवाला देते हुए, लिखित बहस भी पेश की एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में अपीलाण्ट व रैस्पो0 वहिस्सा बराबर सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं एवं इन्तकाल नम्बर 449 दिनांक 16.06.2015 से विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य बॅटवारा होना स्पष्ट है। उक्त बॅटवारे की डिक्री भले ही न्यायालय में अपीलाधीन है परन्तु रैस्पो0/प्रार्थी का प्रथम दृष्टया वाद विचारणीय बनता है। इस प्रकार सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति, रैस्पो0/प्रार्थी के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। दौराने वाद, वाद बहुलता एवं जटिलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए स्थगन निरापद है। जहॉ तक अपीलाण्ट की तलवी के प्रश्न बाबत् आपत्ति है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तामील शुदा नोटिस सलंग्न है। अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील बाबत् टिप्पणी ही मान्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.05.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official